राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– 3-2(04)RPA/जन/बोली/23/3303 दिनांकः– 28.06.24

खुली बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी की अश्वशाला स्थित घोड़ों (अनुमानित संख्या 42) का अपशिष्ट पदार्थ (लीद/कचरा) उठाने के लिए 1 वर्ष की अवधि हेतु दर संविदा किये जाने हेतु मोहरबन्द बोलियाँ आमन्त्रित की जाती हैं। बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान सरकार के www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट www.rpa.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं तथा इच्छुक निविदादाता द्वारा दिनांक 28.06.2024 से 09.07.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड कर दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं जिसके लिए निविदा फॉर्म शुल्क तथा बोली प्रतिभूती का डी.डी/बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। –

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत (राशि रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	संस्था स्थित चेतक रिसाला के घोड़ों का अपशिष्ट पदार्थ (लीद/कचरा) उठाने हेतु।	7.50 लाख	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत *	200/– रू.0 *	**09.07.2024** **दोपहर 12:00 बजे**

संलग्न– बोली की शर्तें, वांछित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रपत्र।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
3. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
5. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
6. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
7. प्रभारी रिसाला, आर. पी. ए., जयपुर।
8. संचित निरीक्षक (प्रशासन) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तो के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
10. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी की अश्वशाला स्थित घोड़ों का अपशिष्ट पदार्थ (लीद/कचरा) उठाने के लिए की जाने वाली दर संविदा हेतु बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्तें :–

1. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। **(राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)**
2. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाऐंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
3. निविदादाता नगद राशि जमा करवाकर राजस्थान पुलिस अकादमी कार्यालय से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है तथा बोली प्रतिभूती भी नगद जमा करवाकर रसीद संलग्न कर सकते है।
4. तकनीकी बोली में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी जिसके लिए पृथक से सूचना जारी की जावेगी।
5. बोलीदाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षो 2020–2021, 2021–22 व 2022–23 मे राशि रूपयें 10.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए।
6. गत यथा तीन वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–22 व 2022–23 के सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता/लाभ–हानि खाता/बैलेन्स सीट संलग्न करें
7. सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें । सी.ए. के द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
8. निविदादाता को तकनीकी दस्तावेजों के साथ अद्यतन GSTR 3B प्रस्तुत करनी होगी इनके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9. निविदादाता को सरकारी विभाग में/स्वायत्त शासित संस्थाओं/अर्द्ध–सरकारी संस्थाओ में निविदा कार्य/समान कार्य में अनुभव होना चाहिए जिसके लिए कम से कम गत 3 वित्तीय वर्षो 2020–2021, 2021–22 व 2022–23 के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 5 लाख का कार्यादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी तथा संतोषजनक रूप से कार्य करने का प्रमाण पत्र अद्यतन प्रस्तुत करना होगा।

10. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।(पेन कार्ड की स्व–सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
11. बोलीदाता को जी.एस.टी विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)
12. बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B एवं D (बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B एवं D एवं समस्त दस्तावेजों पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)

<u>नोट</u> :– उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने एवं हस्ताक्षरित बोली प्रपत्र मय सलंग्नक प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियाँ खोली जावेगी।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

A. बोलीदाता को निर्देश :–

1. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से एकल पद्वति (द्वि–भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओ की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड और वित्तीय बिड को अलग–अलग लिफाफों में रखा जायेगा यदि वित्तीय बिड को खुले रूप से तकनीकी बिड के साथ रखा गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी। अतः दोनो बिड को अलग–अलग लिफाफों में रखा जाकर दोनो बिडों को एक तिसरे लिफाफें में रखा जाना चाहिए।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को तकनीकी बोली के साथ जमा कराना होगा। उक्त ... में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।

...अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया

...ार्य होगी।

...बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर उपापन ...त की दर से कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुसूचित **बैंक द्वारा ...ाार/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)** से ...मानुसार राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर ...। उक्त के अभाव में जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर बोलीदाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

6. बोलीदाता को इस बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होगें।
7. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।

10. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

B. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्ते :–

1. उपाप्त की जाने वाली सेवाओं हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावे ।

तिथि से 2 दिवस में कार्य करना होगा परन्तु आपातकालीन परिस्थिति में ... भी करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है, जिसकी ... को करनी अनिवार्य होगी। कार्य आदेशित समय पर पूर्ण नहीं करने पर ... एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक ...ीय होगी।

...कर्ता द्वारा यदि कार्य यथासमय नहीं किया जाता है, अथवा कम कार्य किया जाता ...ंवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से कार्य करवा लिया जावेगा तथा ...शि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा ... कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त ...तिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला

अकादमी में स्थित चेतक रिसाला में घोडों का अपशिष्ट पदार्थ ...टबीन से उठाकर टैक्सी लोडिग वाहन द्वारा या अन्य सुरक्षित तरिके से ... प्रातः समय निर्देशानुसार कार्य करना होगा जिसका समय लगभग 07:00 AM से 10:00 AM तक होगा तथा समय में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। चेतक रिसाला में डस्टबीन या कचरा पात्र से लीद/कचरा उठाकर बाहर नाले में या अन्य निर्देशित जगह पर डाला जा सकेगा।

5. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/ कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

A. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :–

1. सर्वप्रथम बोलीदाताओ की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड मे सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओ द्वारा **"वित्तीय प्रस्ताव"** में प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
3. "वित्तीय प्रस्ताव" मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नही होगी।

यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी ...कता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर ...है।

...ा द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभा... (यदि लागू हो) तो पृथक–पृथक दर्शाया जावे। ... से नही दर्शाये जाने पर प्रस्तुत दरें समस्त प्रभारों सहित मानी जाऐगी। ...ी. एस. टी. राशि (यदि लागू हो) का भुगतान पृथक से देय होगा।

...हारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति स्वविवेक के आधार पर न्यूनतम से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

B. **अन्य शर्ते/अनुदेश :–**

1. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)

[illegible] ों को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013

[illegible] के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

[illegible] पन मे पारदर्शिता अधिनियम–2013 की धारा-38 के तहत् कोई भी

[illegible] बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई

[illegible] अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप**

[illegible] **अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर** के समक्ष अपील कर सकता

[illegible] (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है (अनुलग्नक "स")। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/– एवं राशि रूपये 10000/– निर्धारित है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।

6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

7. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा--निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

<u>बोलीदाता के हस्ताक्षर</u>

फर्म का नाम व पताः–...

....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

[illegible] ndulge in any coercion including impairing or harming or threatening [illegible] directly or indirectly, to any party or to its property to [illegible] ment process;

[illegible] audit of a procurement process;

[illegible] and

[illegible] transgressions with any Entity in India or any other [illegible] last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict ofinterest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the ... the design or technical specifications of the Goods, ... that are the subject of the Bid; or

... affiliates has been hired (or is proposed to be hired) ... ing Entity as engineer-in-charge/ consultant for the

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to the Notice Inviting Bid No.............. Dated ....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

[illegible] insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, [illegible] my/our affairs administered by a court or a judicial officer, [illegible] my/our business activities suspended and not the subject [illegible]edings for any of the foregoing reasons;

[illegible] have, and our directors and officers not have, been [illegible] of any criminal offence related to my/our professional [illegible]duct or the making of false statement or misrepresentations as [illegible]/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

____

The designation and address of the Second Appellate Authority is

____

(1)Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, iving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

declaration of a Bidder as successful the appeal may be who has participated in procurement proceedings.

that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids the Financial Bids, an appeal related to the matter of only by aBidder whose Technical Bid is found to be

whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.
(f)

(5)Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.

(b)Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the ... erson or through registered post or authorised representative.

... ing appeal

... shall be rupees two thousand five hundred and for second ... rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.

... in the form of bank demand draft or bankers cheque of a ... India payable in the name of concerned Appellate Authority.

... al of appeal

... ellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, ... of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.

(d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No...........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)

of the order appealed against
ignation of the officer/ authority
order (enclose a copy), or a statement
, action or omission of the Procuring Entity
vention to the provisions of the Act by which
t is aggrieved :
proposes to be represented
ive, the name and postal address
tive :
and documents enclosed with the appeal :

....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer :...
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellants Signature

Annexure D: additional conditions of contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

   I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

   II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and

   III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case he amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.

2. **Correction of arithmetical errors**

   (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in ne Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation unless otherwise provided in the Conditions of Contract.

   In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)**

   As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical aid vial nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the-second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

परिशिष्ट "द"
पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) (जोISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-4000 प्रमाण पत्र धारक हो) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं ई तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सके, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता

टेलीफोन नं.

शपथ पत्र

मै. ....

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता

टेलीफोन नं.

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

"वित्तीय प्रस्ताव"

परिशिष्ट "ई"

(बोली प्रपत्र –प्राईस बीड)

बोली आमंत्रण सूचना कमांकः दिनांक

1...के लिए बोली

(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई हैं)

2.बोली प्रस्तुत करने वाली फर्मः–...

का नाम, डाक का पूर्ण पताः–...दूरभाष

फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडीः–...

3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :–निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

4. सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना संख्या–...

दिनांक ....जो...

(समाचार पत्र का नाम) दिनांक.. में प्रकाशित हुई है।

5. निविदाएं तकनीकी बिड व तित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

...र्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

... /बैंकर्स चैक सं0.................. दिनांक .... द्वारा राशि रूपये

... राशि के पेटे जमा करवाई गई।

...जी.एस.टी. प्रमाण–प, संलग्न करें।

...लर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।

... द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये है।

नोटः– (i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसेः–'टैक्स पेड, कर सहित 'एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

11. बोली भरने की प्रक्रियाः–

ई–बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना निविदा की शर्तों में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

राजस्थान पुलिस अकादमी की अश्वशाला स्थित घोड़ों का अपशिष्ट पदार्थ (लीद/कचरा) उठाने के लिए की जाने वाली दर संविदा हेतु "वित्तीय प्रस्ताव"

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित घोड़े	इकाई	दर प्रति ईकाई	कुल योग जीएसटी रहित
1	घोडों का अपशिष्ट पदार्थ (लीद/कचरा) एक जगह से उठाकर टैक्सी/लोडिंग वाहन द्वारा संस्था से बाहर डलवाने का कार्य	42	प्रति घोड़ा प्रति माह	अंको मे रू................. .... शब्दों मे रू.........	अंको मे रू......... शब्दों मे रू.........

नोट :–

(i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।

...ट वाक्य जैसेः–'टैक्स पेड, कर सहित 'एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

...लागू हो) नियमानुसार पृथक् से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नामः–...

पताः–...

मोबाइल/दूरभाषः–..................................